




राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:-एफ-14 ()/यू-डाइस/राप्रशिप/जय/2018-19/12808

दिनांक:- 8/3/18

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE) के संबंध में परिपत्र

परिचय :-

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified-District Information System for Education) भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रणाली है जिसमें राज्य के सभी राजकीय/गैर-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले/ब्लॉक/संकुल/विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाता है। समकों के विश्लेषण पश्चात् कमजोरी के क्षेत्रों में सम्बलन एवं निरन्तर अच्छे परिणाम हेतु मॉनिटरिंग व फोलोअप कार्यवाही की जाती है। शैक्षिक नियोजन में डाइस समंक उपयोग में लिए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भी यही डेटा उपयोग में लिया जाता है। यही डेटा राजस्थान सरकार व भारत सरकार को भिजवाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से ऑफ लाईन एकत्रित यू-डाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया को बन्द कर समस्त राज्यों में यू-डाइस डाटा विद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये यू-डाइस प्लस पोर्टल पर फीड करवाने का निर्णय किया गया है। साथ ही आगामी माहों में उक्त सूचना को प्रतिमाह विद्यालयों द्वारा अपडेट भी किया जावेगा जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाएँ भारत सरकार के स्तर तक वास्तविक समय (Real Time) के अनुसार उपलब्ध हो सकें।

वर्ष 2018-19 का डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया-

विद्यालय सूची का निर्माण - गत वर्ष के यू-डाइस डाटा से विद्यालय सूचियों का निर्माण किया जावेगा एवं नये जोड़े जाने वाले विद्यालयों को सूची में शामिल किया जावेगा। सूची का प्रारूप निम्न होगा:-

List of Schools

Name of District:

Name of Block:

S.No.	School Code	Name of School	Name of Nodal/PEEO School	Type of School by management	Type of School by category
				Dept. of Edu/Panchyati raj dept./TAD & Social welfare/ Shiksha Karmi/ Sankrit/ KGBV/Madrassa/ Pvt Recognise/ Unrecognise Pvt. /KV/Other	PS/UPS/PS with UPS/UPS with Sec./UPS with Hr./Sec. with Hr. sec.
1	2	3	4	5	6

- समस्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/नोडल प्रधानाचार्यो द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र की विद्यालय सूची के अनुरूप भरवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को सम्बन्धित पंचायत के लिए पीईईओ घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए पूर्व में गठित कलस्टर अनुसार यथावत रहेगा।
- समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के डाटा फीड करवाने का दायित्व नॉडल संस्था प्रधान का रहेगा।
- डाइस डाटा फीडिंग विद्यालयों द्वारा यू-डाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी।
- उक्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/नोडल प्रधानाचार्यो स्वयं के पर्यवेक्षण में विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन फीडिंग करवायेंगे।

5. ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ/एसीबीईओ/ब्लॉक एमआईएस/ब्लॉक कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यालयों द्वारा फीड किये गये डाटा का सत्यापन करेंगे।
6. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी/एमआईएस ब्लॉकवार डाटा सत्यापित करेंगे तथा ब्लॉक से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर डाटा का अन्तिमीकरण करेंगे।
7. जिला स्तर पर डाइस प्रभारी/एमआईएस का मुख्य दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों द्वारा डाटा फीडिंग सही व निर्धारित समय पर पूर्ण हो एवं सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों का पूर्ण डाटा भरा गया है।
8. मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय शिक्षा विभाग में पदस्थापित सांख्यिकी कार्मिक को अपने जिले के डाइस समंक गणना/विश्लेषण हेतु उपलब्ध करावें।

प्रशिक्षण:-

1. राज्य स्तर पर कार्यरत उपनिदेशक एवं सलाहकार द्वारा संभाग/जिला स्तर पर जिला डाइस कार्यक्रम प्रभारी, एमआईएस प्रभारी, ब्लॉक डाइस प्रभारी (आर.पी) एवं ब्लॉक ऑपरेटर को प्रशिक्षण देंगे।
2. जिला स्तर पर जिला डाइस कार्यक्रम प्रभारी, एमआईएस प्रभारी द्वारा अपने जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण देंगे।
3. ब्लॉक डाइस प्रभारी (आर.पी) एवं ब्लॉक ऑपरेटर द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में अपने ब्लॉक के समस्त पीईईओ एवं शहरी नोडल विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण देंगे।
4. पीईईओ एवं शहरी नोडल विद्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।
5. राज्य स्तर पर उपनिदेशक एवं सलाहकार द्वारा जिलो में कार्यरत एमआईएस प्रभारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जावेगा।

आवश्यक निर्देश :-

- डेटा की पूर्ति में पूर्ण सावधानी रखी जानी अपेक्षित है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर शत प्रतिशत जाँच कर प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।
- डेटा कम्प्यूटरीकरण के पश्चात जिला, ब्लॉक तथा संकुल रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर उन्हें जिला स्तरीय समिति जिला यू-डाइस डेटा सपोर्ट समूह के समक्ष रखा जावे तथा समिति से अनुमोदन करवाया जावे। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड सभी विद्यालयों में भिजवाकर रिकार्ड से मिलान कर सही होने की सूचना प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अधूरी एवं गलत सूचना देने पर सम्बन्धित प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी संस्थाप्रधान/पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- विद्यालय/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय यू-डाइस डेटा को ही आधार माना जावेगा एवं यू-डाइस डाटा ही किसी भी प्रकार की सूचना का आधार होगा।
- जिले के सभी विद्यालयों में नाम पट्ट के साथ विद्यालय का डाइस कोड अंकित किया जावे।
- किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना न देने की स्थिति में संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम स्तर द्वारा की जावे।

डाइस के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले विद्यालयों का प्रकार :-

1. समस्त प्रकार के राजकीय/निजी/केन्द्रीय/मदरसा विद्यालय जिनमें कक्षा 1-5, 6-8, 1-8, 9-10, 9-12, 6-12, 6-10, 1-12 एवं 11-12 का अध्ययन कराया जाता है।

विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व :-

यू-डाइस प्रपत्र के आधार पर जिले/ब्लॉक/विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है, अतः सूचना का महत्व को देखते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का दायित्व है कि :-

- विद्यालयों द्वारा यू-डाइस के सभी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर, उनके अनुरूप ही ऑनलाईन पोर्टल पर सही एवं प्रामाणिक सूचना दी जावे।

- विद्यालय की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं 30 सितम्बर 2018 की आधार तिथि पर भरी जावें। अपूर्ण एवं गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- सूचना संकलन प्रपत्र को एसएमसी/एसडीएमसी/एमएमसी के दो गैर-शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित कराया जावें।
- विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजित कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों एवं साधारण सभा के सम्मुख किया जावें।

पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व:-

1. संकुल स्तर पर समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, संकुलवार किया जावेगा।
2. सभी पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्वयं के क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के यू-डाइस डाटा ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित प्रधानाध्यापक से भरवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मुख्य रिकार्ड (विद्यालय दस्तावेजों) से डाटा का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर डाटा ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. विद्यालयों द्वारा डाटा शत प्रतिशत पूर्ण भरे जाने के पश्चात् विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त कर यू-डाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य:-

1. यू-डाइस संबंधी सभी कार्मिकों से समन्वय कर यू-डाइस कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करेंगे।
2. ब्लॉक के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, संकुलवार किया जायेगा।
3. वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक संकुल पर शत प्रतिशत प्रमाणीकरण चैकिंग स्वयं करना तथा अन्य कार्मिकों से मानदण्डानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ज़िला परियोजना कार्यालय के दायित्व:-

1. ज़िले के समस्त विद्यालयों का सूचीकरण एवं पीईईओ/नॉडल क्षेत्र के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों का निर्धारण।
2. वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक ब्लॉक/संकुल एवं विद्यालय स्तर पर सीडीईओ, डीपीसी, एडीपीसी, एपीसी तथा सीबीईओ/आरपी आदि के माध्यम से शत प्रतिशत प्रमाणीकरण करवाया जावेगा।
3. आंकड़ों की वैधता व विश्वसनीयता हेतु विश्लेषण करना एवं ज़िले के कम से कम 50 विद्यालयों के ऑनलाईन भरे गये डाटा की सैम्पल चैकिंग करना। गत वर्षों के डेटा व अन्य स्रोतों के आंकड़ों से तुलना करना।
4. ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालय स्तर पर डाइस डाटा समय सीमा में भरे जाने हेतु सम्बलन प्रदान कराना।
5. यू-डाइस कार्य की शत प्रतिशत मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर डाटा संग्रहण करवाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्य स्तरीय कार्यालय के दायित्व:-

1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/नॉडल विद्यालय स्तर पर विद्यालय से आ रही कठिनाईयों का समाधान करने हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर तत्काल निवारण की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. विभिन्न स्तर के अधिकारी/कार्मिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं समय-समय पर विभागीय आदेश जारी करवाकर मार्गदर्शन प्रदान करना।
3. यू-डाइस शाखा द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जाकर 5 प्रतिशत सैम्पल विद्यालयों के डाटा जांच करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सांख्यिकी कार्मिक को गणना एवं विश्लेषण तथा परीक्षण हेतु सूचना उपलब्ध करवाना।
5. जिला प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से अपने जिले में विजिट के दौरान विद्यालयों द्वारा भरे गयी यू-डाइस की सूचना एवं प्रमाण पत्र की जांच करवाई जायेगी।

डाइस डेटा के उपयोग:


डाइस डाटा का निम्नानुसार उपयोग सुनिश्चित करें -

1. सिविल निर्माण कार्यों की स्वीकृति यू-डाइस डेटा में प्राप्त आवश्यकता के आधार पर किया जावें।

2. शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान राशि आदि यू-डाइस डेटा के अनुसार ही संबंधित विद्यालयों को दी जावें।
3. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं में डाइस डाटा का ही शत प्रतिशत उपयोग किया जावें।

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2018-19 का समयबद्ध कार्यक्रम


क्र.सं	गतिविधि	दायित्व
1	जिला द्वारा डाइस 18-19 में लिये जाने वाले विद्यालयों की सूची परिषद् कार्यालय पर भिजवाना।	अति.जिला परि. समन्वयक
2	संभाग/जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण देना	राज्य यू-डाइस प्रकोष्ठ
3	राज्य स्तर पर एमआईएस प्रभारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना	राज्य यू-डाइस प्रकोष्ठ
4	सीबीईओ/ब्लॉक स्तरीय यू-डाइस प्रभारियों का जिला स्तर पर ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण।	जिला स्तरीय यू-डाइस प्रकोष्ठ
5	ब्लॉक स्तर पर पीईईओ/शहरी नोडल प्रभारियों का जिला स्तर पर ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण।	ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
6	पीईईओ/शहरी नोडल स्तर पर समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण	पीईईओ/शहरी नोडल संस्था प्रधान
7	विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन डाटा फीड किया जाना (30 सितम्बर को आधार तिथि मानते हुए)	समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान
8	सीबीईओ एवं अधिनस्थ कार्मिकों द्वारा स्वयं के ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के डाटा को प्रमाणित करना	सीबीईओ
8	जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं एमआईएस प्रभारी द्वारा समस्त डाटा का अन्तिमीकरण कर प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना।	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं एमआईएस प्रभारी
9	यू-डाइस डाटा को एमएचआरडी, टीएसजी को प्रेषित करना।	राज्य यू-डाइस प्रकोष्ठ


 (डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
 राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय), समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद् कार्यालय, समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
10. समस्त राजकीय/निजी/मदरसा/केन्द्रीय विद्यालयों के संस्था प्रधान।
11. रक्षित पत्रावली।




 (मुन्नी सम बगडिया)
 अतिरिक्त राज्य परियोजना समन्वयक